उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–1254/ग्यारह–9(1)/2004–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(48)–2009

लखनऊ::दिनांक:: 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2009 से, सरकारी अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1769/ग्यारह–9(1)/2004–उ0प्र0अधि0–12–2000–आदेश–(17)–2004 दिनांक 05 जुलाई, 2004 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में,–

(एक) शब्द एवं अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 25–ख के उपनियम (1) के अधीन यथाविहित प्रपत्र–3ख में घोषणा" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा" रख दिये जायेंगे ;

(दो) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जायेगा:–

"स्पष्टीकरण:– कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप में इकाई द्वारा जारी घोषणा 01 जनवरी, 2008 से प्रारम्भ होने वाली और इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किये गये संव्यवहारों के लिए भी लागू होगी।"

आज्ञा से,

(देश दीपक वर्मा)

प्रमुख सचिव।